

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

(कार्य पूरक प्रमाण पत्र)

(राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता/ स्वामी का नाम

पिता/पति का नाम

282

पता

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली

(1) वोलता

(2) कलाओं (फेजों) की संख्या

(3) ए० सी/डी० सी

वायरिंग का प्रयोजन-

वायरिंग का प्रकार (बैटन, कन्ड्युट इत्यादि)

संस्थापन की विशिष्टियां :-

क्रम संख्या	आइटम	220/ 230 वोल्ट्स						400/ 440 वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन
		फेज 1		फेज 2		फेज 3		संख्या	कुल क्षमता	
		संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स			
1.	बलियों के प्वाइंट	24	60=120							
2.	पंखों के प्वाइंट									
3.	प्लग प्वाइंट									
4.	मोटरें/ जनरेटर्स									
4.	फ्रिज/कूलर									
5.	टीवी									
6.	ए०सी०									
	योग									

II अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया जाये)

(1)

(2)

कुल संयोजित भार किलो वाट में -

57 Kwo.

अधिकतम करंट मांग एम्पियर में -

12 A

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

के.जी. एसोसिएट

मोराबस्ती शाहाबाद-हरदोई

KG ASSOCIATE

Owner
Proprietor

विद्युत का रिसाव (विद्युतरधी प्रतिरोधी कम से कम एक मेगा ओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये)।

ठेकेदार द्वारा विद्युत् रोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम-

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

(i) फेज एवं अर्थ के बीच-

(ii) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच-

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

(iii) तारों के मध्य-

नियम 29 -

- (1) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार है।
- (2) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है।
- (3) बतायें कि समस्त स्विच विद्युत्तमय चालकों पर लगाये गये हैं।

नियम 32-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक को विद्युत्तमय (जीवन्त) चालक से सुभिन्न किया जा सके।

सत्यापन प्रमाण- पत्र

मैं/ गौरव सूरि लाइसेंस प्राप्त विद्युत् ठेकेदार, लाइसेंस संख्या HI-124

निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं-

(अ) कि पूर्वोक्त विद्युत् संस्थापन टेस्टिंग का कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

(ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युत् रोधी प्रतिरोधी का परीक्षण मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।

(ग) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत् नियम, 1956 एवं भारतीय मानव संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।

(द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है-

वायरमैन का नाम

पर्यवेक्षक का नाम

प्रमाण पत्र सं०

वैद्यता की तिथि

गौरव सूरि

17.07.2024

12/11/2024

हस्ताक्षर

वायरमैन का नाम

प्रमाण पत्र सं०

वैद्यता की तिथि

गौरव सूरि

17.07.2024

12/11/2024

के.जी. एसोसिएट

मीरा बस्ती शाहाबाद

विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम

लाइसेन्स संख्या-HI-124

लाइसेन्स श्रेणी- क

वैधता का दिनांक 31-3-2024

ठेकेदार के हस्ताक्षर

-: घोषणा :-

(उपभोक्ता द्वारा की जाय)

KG ASSOCIATES
Proprietor

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत, 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता 1.2A एम्पियर से अधिक नहीं है तथा विस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवरलोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर की जायेगी।

दिनांक 17/01/2024

उपभोक्ता का नाम व हस्ताक्षर

-: परीक्षण रिपोर्ट :-

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिणाम-

1. फेज एवं अर्थ के बीच-

फेज-1 व अर्थ ✓

फेज-2 व अर्थ ✓

फेज-3 व अर्थ ✓

2. तार के बीच-

फेज-1 व अर्थ ✓

फेज-2 व अर्थ ✓

फेज-3 व अर्थ ✓

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियाँ (यदि कोई) हो एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

दिनांक:.....

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर:

पदनाम:

-: विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक :-

निरीक्षण का परिणाम

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और